कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना (म0प्र0)

Email ID- dcourtpan-mp@nic.in

–:: विविध आदेश ::–

क्रमांक– P-52 /कोरोना वायरस (बण्डल)2020 **पन्ना, दिनांक 04.05.2020**

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक क्यू/12, दिनांक 04 मई, 2020 के पालन में इस कार्यालय द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक–पी 49/2020 एवं 50/2020 पन्ना, दिनांक 02.05.2020 को दिनांक 05.05.2020 से 15.05.2020 के संबंध में निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है, कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश क्रमांक–क्यू 12 के अनुसार Urgent Cases के साथ–साथ ऐसे केस भी संबंधित न्यायालय द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे, जो अन्तिम निराकरण, अन्तिम सुनवाई, आदेश, निर्णय, रिमाण्ड, जमानत आवेदन–पत्र, क्रिमिनल रिवीजन एवं सिविल अपील आदि से संबंधित हैं तथा जिन प्रकरणों में पक्षकारगण की उपस्थिति आवश्यक नहीं है तथा उनकी सुनवाई केवल अधिवक्तागण के माध्यम से बिना कोई मौखिक साक्ष्य लिये की जाना है एवं उनमें सुनवाई की जा सकेगी।

प्रकरणों में सुनवाई पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार व्ही0सी0 के माध्यम से की जायेगी। व्ही0 सी0 के फेल होने की स्थिति में आवश्यक होने पर उभय–पक्ष की सहमति से प्रस्तुत लिखित अन्तिम तर्क के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। पक्षकारगण को यह भी निर्देश दिया जाता है, कि प्रकरण में आगामी तिथि की जानकारी हेतु उन्हें न्यायालय में उपस्थित् होना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर आगामी तिथि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

उपरोक्तानुसार प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाहियों के दौरान **Social Distancing** का पालन अनिवार्य रूप से किया जावेगा। कोर्ट रूम में डायस से 6 फिट का Distance Maintain किया जावेगा। उक्त कक्ष में प्रवेश अथवा न्यायालय कक्ष में प्रवेश एक के बाद एक कम से होगा। पक्षकार/अधिवक्तागण/पुलिस कर्मी या अन्य किसी व्यक्ति का बिना मास्क (चेहरा कवर किये बिना) न्यायालय परिसर एवं कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा। संबंधित अधिवक्तागण/पक्षकार/कर्मचारी का कोर्ट रूम में भी कार्यवाही के दौरान मास्क लगाये रखना

अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक कर्मचारी/पक्षकार/अधिवक्ता अपने पास सेनेटाईजर रखेगा, जिससे कि फाइलों के आदान–प्रदान होने के उपरांत सेनेटाईजर का प्रयोग कर संक्रमण से बचा जा सके।

इस संबंध में पक्षकारगण/अधिवक्तागण/कर्मचारीगण/पुलिस एवं अन्य विभागों से संबंधित अधिकारीगण व कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है, कि वे जिला न्यायालय परिसर में जिला न्यायालय के आदेश के पालन में यदि उपस्थित् होते हैं, तो "कोरोना वायरस Covid-19" के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क लगाकर उपस्थित् हों, सेनेटाईजर का प्रयोग करें, आपस में न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाये रखें एवं इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एडवाईजरी का सख्ती से पालन करें।

Sd/-
(प्रेम नारायण सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पन्ना (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक– P-52 **/2020** **पन्ना, दिनांक–04 मई, 2020**

प्रतिलिपिः–

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश/कुटुम्ब न्यायाधीश/प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवई,
03. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक पन्ना/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक पवई,
04. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत/मालखाना/प्रतिलिपि/सांख्यिकी/लेखा/ग्रंथालय/कम्प्यूटर अनुभाग पन्ना/पवई/अजयगढ़,
05. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो पन्ना/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो पवई/अजयगढ़
06. समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण पन्ना,
07. जिला कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. पुलिस अधीक्षक, पन्ना की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि सभी संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।
09. प्रस्तुतकार, श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना,
10. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ, पन्ना, की ओर समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को अवगत कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

11. लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक पन्ना को सूचनार्थ प्रेषित।
12. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, पन्ना/पवई/अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
13. जिला जन संपर्क अधिकारी पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना स्थानीय समाचार–पत्र एवं स्थानीय टी0व्ही0 चैनलों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/जिला नाजिर पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
15. सिस्टम ऑफीसर/सिस्टम असिस्टेंट पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना सभी न्यायाधीशगण/समस्त कर्मचारीगण की ई–मेल आई0डी0/व्हॉट्स एप नंबर पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
16. जेल अधीक्षक पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4.5.2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)